क्रम-संख्या—581

13

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 891

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 अगस्त, 1995

भाद्रपद 3, 1917 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1668/सत्रह–वि–1–1(क) 3/1995

लखनऊ, 25 अगस्त, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 25 अगस्त, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1995)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1995 कहा जायेगा ।

(2) यह 22 अप्रैल, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

अध्याय–दो

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 2 का संशोधन

2––संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (टट) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्––

"(टटट) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)' का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, इस रूप में पदाभिहित या नाम-निर्दिष्ट किया गया हो;"।

धारा 5-क का संशोधन

3––मूल अधिनियम की धारा 5-क में, शब्द "सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने" के स्थान पर शब्द "प्रधान या सदस्य चुने जाने के लिये और होने" रख दिये जायेंगे।

धारा 9 का संशोधन

4––मूल अधिनियम की धारा 9 में,––

(क) उपधारा (1) में, शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्––

"(1–क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण, और उनसे संबंधित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(1–ख) निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी जैसी नियत की जाय।";

(ग) उपधारा (2) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन या अनुसार" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (10) में, शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग", के स्थान पर शब्द "जहां तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (12) में, खण्ड (ख) में, शब्द "की गई किसी कार्यवाही" के पश्चात् शब्द "या इस निमित्त नियुक्त किये गये किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 9-क का संशोधन

5––मूल अधिनियम की धारा 9-क में,––

(क) शब्द "जिसका नाम किसी" के पश्चात् शब्द "ग्राम पंचायत के किसी" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत" के स्थान पर शब्द "उस ग्राम पंचायत या संबंधित न्याय पंचायत" रख दिये जायेंगे।

धारा 11-क का संशोधन

6––मूल अधिनियम की धारा 11-क में, उपधारा (2) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:––

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

7—मूल अधिनियम की धारा 11-च में, उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:— धारा 11-च का संशोधन

"अपतर प्रतिबन्ध यह है कि नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी या चमोली के पर्वतीय जिलों में इस अधिनियम की धारा 3, जैसी कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व थी, के अधीन गठित किसी गांव सभा के क्षेत्र को यद्यपि ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या एक हजार से कम हो, राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है।"

8— मूल अधिनियम की धारा 12 में,— धारा 12 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ग) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार तक" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ङ) के बाद निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्,—

"(च) किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में नियम भूतलक्षी प्रभाव से, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से नहीं, बनाये जा सकते हैं।";

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायगी ;

(ग) उपधारा (5) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :

"अपतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

9—मूल अधिनियम की धारा 12-खख को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्— धारा 12-खख का संशोधन

"(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य में प्रधान, उप प्रधान या किसी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के पद पर निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण और उससे संबंधित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।"

10—मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (3) में, शब्द "ग्राम सभा" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे। धारा 32 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 110 में, उपधारा (2) में, खण्ड (2-छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्— धारा 110 का संशोधन

"(2-छ) न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति ;"।

12—मूल अधिनियम की धारा 113 में, उपधारा (1) निकाल दी जायगी। धारा 113 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 118 में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन" के स्थान पर "उस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार" रख दिये जायेंगे। धारा 118 का संशोधन

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधि० नियम सं० 33 सन् 1961 की धारा 1 का संशोधन

14––उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्,––

"(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि राष्ट्रीय आपात के कारण या देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा या अभिरक्षा के परिरक्षण के लिये ऐसा करना वांछनीय है, गजट में अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी जिले या जिले के किसी भाग के संबंध में इस अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत कर सकती है या निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध परिवर्द्धनों, लोपों, या परिवर्तनों के रूप में ऐसे परिष्कारों के साथ उस क्षेत्र पर प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे और तदुपरान्त जब तक कि अधिसूचना निरस्त न कर दी जाय, यथास्थिति, ऐसे जिले या उसके किसी भाग पर अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत रहेगा या अधिनियम के उपबन्ध उक्त प्रकार से विनिर्दिष्ट परिष्कारों के साथ प्रवृत्त होंगे।"

धारा 2 का संशोधन

15––मूल अधिनियम की धारा 2 में,––

(क) खण्ड (6) में,––

(एक) शब्द "स्थापित" के स्थान पर शब्द "निगमित" रख दिया जायेगा;

(दो) शब्द "इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो" के पश्चात् शब्द और अंक "और 'क्षेत्र समिति' का तात्पर्य इस अधिनियम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधन के पूर्व था, के अधीन स्थापित किसी क्षेत्र समिति से है" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (11) में,––

(एक) शब्द "स्थापित" के स्थान पर शब्द "निगमित" रख दिया जायेगा,

(दो) शब्द "इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो" के पश्चात् शब्द और अंक "और 'जिला परिषद्' का तात्पर्य इस अधिनियम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधन के पूर्व था के अधीन स्थापित किसी जिला परिषद् से है" बढ़ा दिये जायेंगे

(ग) खण्ड (16) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्,––

"(16–क) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (टटट) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से है;";

(घ) खण्ड (23) में शब्द और अंक "धारा 5 या 17 के अधीन जारी अधिसूचना के जारी होने के दिनांक" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, उस खण्ड के लिये प्रथम क्षेत्र पंचायत या उस जिले के लिये प्रथम जिला पंचायत के संघटन के दिनांक" रख दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (31) और (32) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 5 का प्रति स्थापन

16––मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्––

क्षेत्र पंचायत का संघटन और निगमन

"5––(1) प्रत्येक खण्ड के लिये एक क्षेत्र पंचायत होगी, जिसका नाम उस खण्ड के नाम पर होगा और जो एतद्पश्चात् उपबंधित प्रकार से संघटित की जायगी।

(2) क्षेत्र पंचायत एक निगमित निकाय होगी।

(3) क्षेत्र पंचायत का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, और जब तक इस प्रकार अवधारित न किया जाय तब तक उसी स्थान पर होगा जहाँ वह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व स्थित था।"

17—मूल अधिनियम की धारा 6 में, — धारा 6 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चमोली या उत्तरकाशी के पर्वतीय जिलों में उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट ग्राम के केन्द्र से एक किलोमीटर के अर्द्धव्यास (दो किलोमीटर के व्यास) के भीतर के क्षेत्र को, यद्यपि कि उस क्षेत्र की जनसंख्या दो हजार से कम हो, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर सकती है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्,—

"(4) किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जा सकता है और, यदि आवश्यक हो, तो इस संबंध में नियम भूतलक्षी प्रभाव से, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से नहीं, बनाये जा सकते हैं।"

18—मूल अधिनियम की धारा 6-क में, उपधारा (1) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् : धारा 6-क का संशोधन

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

19—मूल अधिनियम की धारा 7-क में, उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्, धारा 7-क का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

20—मूल अधिनियम की धारा 17 में उपधारा (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्,— धारा 17 का संशोधन

"17—(1) प्रत्येक जिले के लिये एक जिला पंचायत होगी जिसका नाम उस जिले [illegible] जिला पंचायत होगा [illegible] के नाम पर होगा और जो एतद्पश्चात् उपबंधित प्रकार से गठन और निगमन संगठित की जायेगी।

(2) जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी।"

21—मूल अधिनियम की धारा 18 में,— धारा 18 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चमोली या उत्तरकाशी के पर्वतीय जिलों में उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट ग्राम के केन्द्र से सात किलोमीटर के अर्द्धव्यास (चौदह किलोमीटर के व्यास) के भीतर के क्षेत्र को या उसके बराबर किसी क्षेत्र को जैसा नियत किया जाय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर सकती है यद्यपि कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पचास हजार से कम हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक क्षेत्र पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मात्रतः सम्मिलित नहीं किया जायगा ।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्,--

"(4) किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में नियम भूतलक्षी प्रभाव से, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से नहीं बनाये जा सकते हैं ।"

धारा 18-क का संशोधन

22--मूल अधिनियम की धारा 18-क में, उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है ।"

धारा 19-क का संशोधन

23--मूल अधिनियम की धारा 19-क में, उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्, :

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है ।"

नई धारा 27-ख का बढ़ाया जाना

24--मूल अधिनियम की धारा 27-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्,--

एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध

"27-ख--कोई व्यक्ति एक साथ एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से--

(क) क्षेत्र पंचायत का सदस्य न होगा, या

(ख) जिला पंचायत का सदस्य न होगा,

और किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान के अतिरिक्त सभी स्थानों को रिक्त किये जाने की व्यवस्था नियमों द्वारा की जा सकती है ।"

धारा 46 का संशोधन

25--मूल अधिनियम की धारा 46 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "जो यूनाइटेड प्राविन्सेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 के अधीन संघटित डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तथा अन्तरिम जिला परिषद् के नियोजन में निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व हों" के स्थान पर शब्द और अंक "जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व जिला परिषद् के नियोजन में हों" रख दिये जायेंगे ।

धारा 264-ख का संशोधन

26--मूल अधिनियम की धारा 264-ख में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्,--

"(3) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुये, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जिला पंचायत के सदस्य और प्रमुख, उप-प्रमुख या क्षेत्र पंचायत के सदस्य के पद के निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण और उससे संबंधित सभी कार्यों का सम्पादन करेगा ।"

धारा 266 का संशोधन

27--मूल अधिनियम की धारा 266 में, उपधारा (1) में, शब्द "निश्चित दिनांक" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक" रख दिये जायेंगे ।

धारा 270 का संशोधन

28--मूल अधिनियम की धारा 270 में,--

(क) खण्ड (क) में,--

(एक) शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958" के पश्चात् शब्द और अंक "या इस अधिनियम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा उसके संशोधन के पूर्व था," बढ़ा दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "यथास्थिति, इस अधिनियम" के स्थान पर शब्द "उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "निश्चित दिनांक" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक" रख दिये जायेंगे ।

धारा 271 का संशोधन

29--मूल अधिनियम की धारा 271 में,--

(क) खण्ड (क) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन जिला पंचायतों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम जिला पंचायतें" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन क्षेत्र पंचायतों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम क्षेत्र पंचायत" रख दिये जायेंगे।

अध्याय चार

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

30-(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 या उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा यथासंशोधित अध्याय-दो और अध्याय-तीन में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
विशेष सचिव।

No. 1668 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 3-1995

Dated Lucknow, August 25, 1995

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Panchayat Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 25, 1995.

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT LAWS (AMENDMENT) ACT, 1995

(U. P. ACT No. 21 OF 1995)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 and the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixty Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER—I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 22, 1994.

CHAPTER—II

AMENDMENT OF THE UNITED PROVINCES PANCHAYAT RAJ ACT, 1947

Amendment of section 2 of U.P. Act no.26 of 1947

2. In section 2 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *after* clause (kk) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(kkk) 'Mukhya Nirvachan Adhikari (Panchayat)' means an officer of the State Government appointed, designated or nominated as such by the State Election Commission in consultation with the State Government;" .

Amendment of section 5-A

3. In section 5-A of the principal Act *after* the words and comma "and for being," the words "the Pradhan or" shall be *inserted*.

Amendment of section 9

4. In section 9 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *after* the words "in accordance with the provisions of this Act", the words "and the rules made thereunder" shall be *inserted*;

(*b*) *after* sub-section (1), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(1-A) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission, the Mukhya Nirvachan Adhikari (Panchayat) shall supervise and perform all functions relating to the preparation, revision and correction of the electoral rolls in the State in accordance with this Act and the rules made thereunder.

(1-B) The preparation, revision and correction of the electoral rolls shall be done by such persons, and in such manner, as may be prescribed." ;

(*c*) in sub-section (2) *for* the words "under or in accordance with this Act", the words "in accordance with this Act and the rules made thereunder" shall be *substituted*;

(*d*) in sub-section (10) *for* the the words "The State Election Commission", the words "In so far as provision is not made by this Act or the rules, the State Election Commission" shall be *substituted*;

(*e*) in sub-section (12), in clause (*b*), *after* the words "the State Election Commission" the words "or of any decision given by any authority or officer appointed in this behalf" shall be *inserted*.

Amendment of section 9-A

5. In section 9-A of the principal Act,—

(*a*) *after* the words "territorial constituency" the words "of a Gram Panchayat" shall be *inserted*;

(*b*) *for* the words "the Gram Panchayat or Nyaya Panchayat" the words "that Gram Panchayat or the concerned Nyaya Panchayat" shall be *substituted*.

Amendment of section 11-A

6. In section 11-A of the principal Act, in sub-section (2), *after* the second proviso the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided also that if the figures of population of the backward classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner."

Amendment of section 11-F

7. In section 11-F of the principal Act, in sub-section (1), *for* the second proviso the following proviso shall be *substituted*, namely :—

"Provided further that in the hill districts of Nainital, Almora, Pithoragarh, Tehri, Pauri, Dehradun, Chamoli or Uttarkashi, the State Gaverment may declare the area of a Gaon Sabha established under section 3 of this Act as it stood before the commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994, to be a Panchayat area though such area may have a population of less than one thousand."

Amendment of section 12

8. In section 12 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1),—

(i) in clause (*a*), in sub-clause (*i*) *for* the words "one thousand" the words "up to one thousand" shall be *substituted*;

(ii)

(ii) *after* clause (*e*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) The territorial constituencies of a Gram Panchayat may be delimitated in the prescribed manner and, if necessary, rules in this regard may be made with retrospective effect from a date not earlier than the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994" ;

(*b*) sub-section (2) shall be *omitted* ;

(*c*) in sub-section (5), *after* the proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided further that if the figures of population of the backward classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner."

Amendment of section 12-BB

9. The existing section 12-BB of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and *after* sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission, the Mukhya Nirvachan Adhikari (Panchayat) shall supervise and perform all functions relating to the conduct of the election to the office of Pradhan, Up-Pradhan or a member of a Gram Panchayat in the State."

Amendment of section 32

10. In section 32 of the principal Act, in sub-section (3), *for* the words "Gram Sabha" the words "Gram Panchayat" shall be *substituted*.

Amendment of section 110

11. In section 110 of the principal Act, in sub-section (2) *for* clause (ii-g) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(ii-g) the appointment of Panches of Nyaya Panchayat ;".

Amendment of section 113

12. In section 113 of the principal Act, sub-section (1) shall be *omitted*.

Amendment of section 118

13. In section 118 of the principal Act, *for* the words "under this Act" the words and figures "for the first time under this Act as amended by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994" shall be *substituted*.

CHAPTER—III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS ADHINIYAM, 1961

Amendment of section 1 of U.P. Act no. 33 of 1961

14. In section 1 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *for* sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the State Government may, upon being satisfied that it is so desirable on account of a national emergency or for the preservation of the safety or security of the country or any part thereof, by notification in the *Gazette*, suspend or withdraw the operation of this Adhiniyam in respect of any district or portion of any district in Uttar Pradesh or direct that the provisions of the Adhiniyam shall apply to such area with such modifications in the nature of additions, omissions or alterations as the State Government may specify and thereupon the operation of the Adhiniyam to such district or portion thereof shall remain suspended or withdrawn or the provisions of the Adhiniyam shall apply with the modifications so specified, as the case may be, till the notification is cancelled."

Amendment of section 2

15. In section 2 of the principal Act,—

(*a*) in clause (6)—

(i) *for* the word "established" the word "incorporated" shall be *substituted* ;

(ii) *after* the words "Kshettra Panchayat under this Act" the words and figures "and 'Kshettra Samiti' shall mean a Kshettra Samiti established under this Act as it stood before its amendment by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994" shall be *inserted* ;

(*b*) in clause (11)—

(i) *for* the word "established" the word "incorporated" shall be *substituted* ;

(ii) *after* the words "Zila Panchayat under this Act" the words and figures "and 'Zila Parishad' shall mean a Zila Parishad established under this Act as it stood before its amendment by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994" shall be *inserted* ;

(*c*) *after* clause (16), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(16-A) 'Mukhya Nirvachan Adhikari (Panchayat)' means the Mukhya Nirvachan Adhikari (Panchayat) referred to in clause (kkk) of section 2 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 ";

(*d*) in clause (23) *for* the words and figures "date of notification issued under section 5 or section 7" the words and figures "date of constitution of the first Kshettra Panchayat for that Khand or, as the case may be, the first Zila Panchayat for that district under this Act as amended by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994" shall be *substituted*;

(*e*) clauses (31) and (32) shall be *omitted*.

Substitution of section 5

16. *For* section 5 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Constitution and incorporation of Kshettra Panchayat

"5. (1) There shall be a Kshettra Panchayat for every Khand bearing the name of that Khand and constituted as hereinafter provided.

(2) The Kshettra Panchayat shall be a body corporate.

(3) The Kshettra Panchayat shall have its office at such place as may be determined by the State Government and until so determined, at the place at which it was situated immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994."

Amendment of section 6

17. In section 6 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *after* clause (*b*) the following provisos shall be *inserted*, namely :

"Provided that in the hill districts of Nainital, Almora, Pithoragarh, Tehri, Pauri, Dehradun, Chamoli or Uttarkashi, the State Government may declare an area within a radius of one kilometre (diameter of two kilometres) from the centre of the village specified by it in this behalf, to be a territorial constituency though such area may have a population of less than two thousand :

Provided further that in the territorial constituency of a Kshettra Panchayat, no territorial constituency of a constituent Gram Panchayat shall be included in part." ;

(*b*) *after* sub-section (3) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(4) The territorial constituencies of a Kshettra Panchayat may be delimitated in the prescribed manner and, if necessary, rules in this regard may be made with retrospective effect from a date not earlier than the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994."

Amendment of section 6-A

18. In section 6-A of the principal Act, in sub-section (1), *after* the proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided further that if the figures of population of the backward classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner."

Amendment of section 7-A

19. In section 7-A of the principal Act, in sub-section (1) *after* the second proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided also that if the figures of population of the backward classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner."

Amendment of section 17

20. In section 17 of the principal Act, *for* sub-sections (1) and (2) the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(1) There shall be a Zila Panchayat for each district bearing the name of the district and constituted as hereinafter provided.

(2) The Zila Panchayat shall be a body corporate."

Amendment of section 18

21. In section 18 of principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *after* clause (*b*) the following provisos shall be *inserted*, namely :

"Provided that in the hill districts of Nainital, Almora, Pithoragarh, Tehri, Pauri, Dehradun, Chamoli or Uttarkashi, the State Government may declare an area within a radius of seven kilometres (diameter of fourteen kilometres) from the centre of the village specified by it in this behalf, or an area equivalent thereto as may be prescribed, to be a territorial constituency though such constituency may have a population of less than fifty thousand :

Provided further that in the territorial constituency of a Zila Panchayat, no territorial constituency of a Kshettra Panchayat comprised within it, shall be included in part.";

(*b*) *after* sub-section (3) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(4) The territorial constituencies of a Zila Panchayat may be delimitated in the prescribed manner and if necessary rules in this regard may be made with retrospective effect from a date not earlier than the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994."

Amendment of section 18-A

22. In section 18-A of the principal Act, in sub-section (1), *after* the proviso the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided further that if the figures of population of the backward classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner."

Amendment of section 19-A

23. In section 19-A of the principal Act, in sub-section, (1) *after* the proviso the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided further that if the figures of population of the backward classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner."

Insertion of new section 27-B

24. *After* section 27-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"27-B. No person shall simultaneously—

Prohibition of holding more than one seat simultaneously

(*a*) be a member of a Kshettra Panchayat for more than one territorial constituency, or

(*b*) be a member of a Zila Panchayat for more than one territorial constituency,

and the rules may provide for the vacation of all but one seat by any person elected for more than one territorial constituency in a Kshettra Panchayat or a Zila Panchayat."

Amendment of section 46

25. In section 46 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words and figures "District Board constituted under the United Provinces District Boards Act, 1922 and of the Antarim Zila Parishad immediately before the appointed date shall", the words and figures "Zila Parishad immediately before the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994," shall be *substituted*.

Amendment of section 264-B

26. In section 264-B of the principal Act, *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission, the Mukhya Nirvachan Adhikari (Panchayat) shall supervise and perform all functions relating to the conduct of the election to the office of an Adhyaksha, Upadhyaksha or member of a Zila Panchayat, and a Pramukh, Up-Pramukh or member of a Kshettra Panchayat in the State."

Amendment of section 266

27. In section 266 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "appointed date", the words "date of commencement of this Act" shall be *substituted*.

Amendment of section 270

28. In section 270 of the principal Act,—

(*a*) in clause (*a*)—

(i) *After* the words and figures "Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Act, 1958", the words and figures "or this Act as it stood before its amendment by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994" shall be *inserted*;

(ii) *After* the words "granted under this Act" the words "as amended by the said Act" shall be *inserted*;

(*b*) in clause (*b*) *for* the words "appointed date" the words "date of commencement of this Act" shall be *substituted*.

Amendment of section 271

29. In section 271 of the principal Act,—

(*a*) in clause (*a*), *for* the words "the Zila Panchayat under this Act" the words and figures "the first Zila Panchayat under this Act as amended by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994" shall be *substituted*;

(*b*) in clause (*b*), *for* the words "the Kshettra Panchayat Under this Act" the words and figures "the first Kshettra Panchayat Under this Act as amended by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994" shall be *substituted*.

Repeal and savings

30. (1) The Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Ordinance, 1995 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Acts referred to in Chapters II and III as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1), or by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Ordinance, 1994 or by the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 1994 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Acts as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 220 सा० विधा०--(2825)--1995--850 (सेक)।